न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-482RAAJodhpur2021-213RTA225 Chutraram etc Vs Baburam etc

1. चुतराराम पुत्र श्री सिदाराम
2. लिखमाराम पुत्र श्री सिदाराम
3. बुधाराम पुत्र श्री सिदाराम
4. थानाराम पुत्र श्री सिदाराम
5. कुंभाराम पुत्र श्री सिदाराम
6. पोकरराम पुत्र श्री सिदाराम
7. श्रीमती राजो पत्नी श्री शेराराम

सभी जातियान् जाट निवासी- ग्राम रिनियां तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. बाबुराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी- रिनिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 09 नवंबर 2022 उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 42/2020 बाबुराम बनाम चुतराराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री एल.आर. पूनिया,श्री अशोक कुमार पूनिया अधिवक्ता- रेस्पो. सं 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 05 जनवरी 2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 42/2020 बाबुराम बनाम चुतराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 25 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि तहसील तिंवरी पटवार हल्का माण्डियाई कला के राजस्व ग्राम रिनिया के खसरा नं. 83 रकबा 33.09 बीघा, खसरा नं. 81 रकबा 10 बीघा भूमि प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 82 रकबा 19.15 बीघा आई हुई है। प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 83 में नलकूप खुदा हआ है, विधुत कनेक्शन लिया हुआ है तथा खसरा नं. 81 की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी है और आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है, उसी अनुरूप मौके पर काबिज काश्त है एवं प्रार्थी के हक हिस्से वाले खसरा नं. 83 में खुदे नलकूप से पुश्तैनी भूमि खसरा नं. 81 में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में सिचांई हेतु उक्त नलकूप से एक पानी की पाईप लाईन अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 82 में दर्शाये नजरी नक्शे अनुसार लगवाई जो पिछले 15 वर्षो से चल रही है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी इसी पाईप लाईन से सिंचाई करता है। पुश्तैनी भूमि में कपास की फसल बाई हुई है। उक्त पाईप लाईन को लेकर अप्रार्थीगण हमेश तंग व परेशान करते है तथा दिनांक 15.07.2020 को उक्त पाईप लाईन चुतराराम व लिखमाराम ने पाईप लाईन खोदकर जमीन से बाहर निकाल दी, बाद में समझाईश की गई लेकिन नही माने तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक-हिस्से वाली भूमि खसरा नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

81 में सिंचाई नही करने दे रहे है, जिससे उनकी फसल नष्ट हो रही है। ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद दर्ज रजिस्टर्ड कर सुनवाई करते हुए दिनांक 04 अगस्त 2020 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 94/2020 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील स्वीकार की जाकर दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण को अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 नवंबर 2021 के जरिये स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दूरी की गणना करने में भारी विधिक त्रुटि कारित की है, जिसमें ए से ई बिंदु तक 885 फुट व ए से बी, सी, डी, की दूरी 1800 फुट मानी है जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि पाईप लाईन हेतु अप्रार्थी/अपीलार्थी का खेत खसरा नं. 82 में से निकाली जा रही है तो खसरा नं. 82 की कितनी दूरी काम में आ रही है, वो दूरी देखने योग्य थी न कि स्वयं प्रार्थी/प्रत्यर्थी की भूमि कितनी काम में आ रही है। प्रार्थी/प्रत्यर्थी अपने स्वयं के काम के लिए अगर जमीन उपयोग में लेता है तो उसकी दूरी कोई मायने नहीं रखती है। विचारण न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की है। न्यायालय हाजा द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया कि खसरा नं. 82 में पाईप लाईन डालने के लिए दो विकल्प (प्रथम सड़क के सहारे-सहारे एवं द्वितीय खसरा नं. 81/1 एवं खसरा नं. 82 की उभयनिष्ठ सीमा के सहारे-सहारे) में से लघुतम दूरी वाले विकल्प का बाद जांच चयन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। न्यायालय हाजा ने बहुत ही स्पष्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

शब्दों में कहा है कि अप्रार्थी/अपीलार्थी की भूमि की न्यूनतम दूरी देखी जानी है, उसके बावजूद भी आलौच्य आदेश पारित किया है। कमिश्नर रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से अंकन कर रखा है कि सी से डी बिंदु तक भूमिगत पाईपलाईन डाली हुई है जो खसरा नं. 81 बाबुराम के हिस्से तक जाती है। इस खसरे में वर्तमान में अरण्डी की फसल खड़ी है। तात्पर्य यह है कि यह पाईप लाईन वर्तमान में चालू हालत में है एवं यह भी अंकित किया गया है कि बाबुराम खसरा नं. 83 से अपनी सुविधा के लिए नयी पाईपलाईन डलवाना चाहता है। अब उक्त टिप्पणी के बाद धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रार्थी/प्रत्यर्थी को समर्थित नहीं करता है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 नवंबर 2021 को निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तलब मौका रिपोर्ट के आधार पर निकटतम दूरी की पाईप लाईन डालने का आदेश पारित किया है। पाईपलाईन से खेत का कोई नुकसान काश्तकार नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायिक दृष्टि से विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 के खेत खसरा नं. 81 मे सिचाई हेतु दो विकल्प प्रथम सड़क के सहारे-सहारे तथा द्वितीय खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नं. 81/1 एवं खसरा नं. 82 की उभयनिष्ठ सीमा के सहारे-सहारे लघुतम दूरी के विकल्प का चयन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिपेषित प्रकरण में तलब मौका फर्द दिनांक 21.09.2021 के अवलोकन मुताबिक खसरा नं. 83 में निर्मित होज ए से बी से खसरा नं. 81 में सिंचाई हेतु दो विकल्प बताये गये है, जिसमें प्रथम विकल्प ए.बी.सी.डी. की दूरी 1800 फुट तथा द्वितीय विकल्प ए.एफ.ई. की दूरी 885 फुट बताई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिपेषित प्रकरण में सुझाये गये द्वितीय विकल्प के अनुसरण में निकटतम दूरी वाले विकल्प ए से ई का चयन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने से उसे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 42/2020 बाबुराम बनाम चुतराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 नवंबर 2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/01/2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर